पत्रांक–04/क्षे0स्था0 रा0कर्म0(वरीयता)–01/2015– (4)/रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र,
निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव।

फैक्स/
ई–मेल

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– /2019

विषय :– **स्नातक एवं स्नातक समकक्ष योग्यताधारी राजस्व कर्मचारियों की अंतिम वरीयता सूची के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विभागीय पत्रांक–560(4) दिनांक– 24.05.2018 द्वारा प्रकाशित स्नातक एवं स्नातक समकक्ष योग्यताधारी राजस्व कर्मचारियों की औपबंधिक वरीयता सूची के आलोक में प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा विभाग के स्तर पर गठित समिति की दिनांक– 21.12.2018 को आयोजित बैठक में की गई, समिति के द्वारा निम्न बिन्दुओं पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

2. चकबंदी से राजस्व कर्मचारी के पद पर समायोजित कर्मियों का सीधे प्राप्त कराया गया आवेदन विचारणीय नहीं है। चकबंदी निदेशालय में प्रथम नियुक्ति एवं राजस्व कर्मचारी के पद पर समायोजन की तिथि स्पष्ट करते हुए नियुक्ति पत्र एवं समायोजन पत्र की अभिप्रमाणित प्रति के साथ आवेदन समाहर्त्ता के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

3. विभाग द्वारा प्रकाशित स्नातक एवं स्नातक समकक्ष योग्यताधारी राजस्व कर्मचारियों की औपबंधिक वरीयता सूची में जिनका नाम अंकित नहीं है, वे अपनी आपत्ति समाहर्त्ता के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. वैसे राजस्व कर्मचारी जिनकी सेवा सम्पुष्ट नहीं है, उनके संबंध में संबंधित समाहर्त्ता नियमानुसार सम्पुष्टि की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

अतः सभी समाहर्त्ता से अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में सभी राजस्व कर्मचारी को अपने स्तर से अवगत कराते हुए संबंधित प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करे ताकि अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन शीघ्र किया जा सके।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–04/क्षे0स्था0 रा0कर्म0(वरीयता)–01/2015– 25 (4)/रा0, पटना–15, दिनांक– 11-01-19

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/01/19

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव।

D:\Sec.4\Rev. 2018\May-June\A. Sir\Letter\Ra.Kha.Wriy.-(01)-18-05-2018.doc